राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

[illegible]

सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल

[illegible] मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

फोन - 2705067 फैक्स - 01412705067

website : http://www.rsos.rajasthan.gov.in e-mail : rajasthansos@gmail.com

प. 10 (36) आरएसओएस / जय / परीक्षा / 2014 /4858 दिनांक : 09.07.15

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा विभाग

बीकानेर, राजस्थान।

विषय :— राज. स्टेट ओपन स्कूल से सम्बन्धी कार्य करने पर अवकाश अवधि में राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / अध्यापकों को उपार्जित अवकाश का लाभ देने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अन्तर्गत 441 विद्यालयों को सन्दर्भ केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया है जिनमें से 419 राजकीय विद्यालय हैं। इन सन्दर्भ केन्द्रों पर परीक्षा आवेदन भरने एवं व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम संबंधी गतिविधियाँ ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश अवधि में सम्पादित की जाती है। RSOS में वर्ष में दो बार (अक्टूबर—नवम्बर एवं मार्च—मई) परीक्षाओं का आयोजन लगभग 300—350 परीक्षा केन्द्रों पर भी किया जाता है। अक्टूबर—नवम्बर की परीक्षाओं के दौरान भी राजकीय विद्यालयों में शिविरा कलैण्डर के अनुसार प्रायः मध्यावधि अवकाश रहता है।

RSOS से सम्बन्धित उक्त गतिविधियों के सम्पादन हेतु राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / अध्यापकों को शिविरा कलैण्डर के अनुसार अवकाश अवधि में भी विद्यालय में उपस्थित होना पड़ता है।

उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए RSOS के निष्पादक मंडल की बैठक दिनांक 28.05.2014 को पारित निर्णयानुसार RSOS के अन्तर्गत शिविरा कलैण्डर के अनुसार अवकाश की अवधि में आयोजित होने वाली गतिविधियों के सम्पादन हेतु राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / अध्यापकों को राज्य सरकार (शिक्षा विभाग) के नियमानुसार उपार्जित अवकाश का लाभ दिया जावेगा।

अतः कृपया उक्त निर्णय को शिविरा पत्रिका में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करावें ताकि राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / अध्यापक पारित निर्णय से लाभान्वित हो सकें।

पवन कुमार गोयल

प्रमुख शासन सचिव

माध्यमिक शिक्षा एवं

अध्यक्ष RSOS